

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम —जहाजपुर (भीलवाडा)

रामराज पिता लखमा मीणा निवासी रतनपुरा वगैरा

बनाम

रोहिदास पिता हरनाथ जाति मीणा निवासी रतनपुरा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 365/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
17 .05.2023	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का गांगीथला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 75 रकबा 0.4968 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 46 रकबा 0.2268 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 18, 19/1 कुल किता 2 रकबा 6.4368 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी हैं। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार हैं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है। अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना एचित समझता हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का गांगीथला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 75 रकबा 0.4968 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 46 रकबा 0.2268 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 18, 19/1 कुल किता 2 रकबा 6.4368 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 17.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 35 / 2023


दिनांक :- 17.05.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 365/23 अनवान रामराज, हरलाल, मदन पिता लखमा, राजेन्द्र, परमेश्वर पिता रामनाथ, रामकुवार, जाल्मा, धर्मा, फोरू पिता रामकिशन जाति मीणा निवासी रतनपुरा बनाम रोहिदास, भीवडा पिता हरनाथ, लाला, भोमसिंह, हरिसिंह पिता सोहन, हरलाल पिता बालू, सुरजमल पिता गोरू, दामोदर, रामेश्वर पिता जगदीश मीणा निवासी रतनपुरा तहसील जहाजपुर जिला- भीलवाडा राजस्थान पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का गांगीथला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 75 रकबा 0.4968 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 46 रकबा 0.2268 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 18, 19/1 कुल किता 2 रकबा 6.4368 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 2000 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)